# मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या– 27/2020 (एम.ए.सी.पी.सं. 287/2017)
हरीश बनाम अरूणेश आदि
**08.06.2020**

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। प्रार्थी/याची के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

3B प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या4C2 से समर्थित किया गया है, में प्रार्थी हरीश ने प्रार्थना की है, कि याचिका विपक्षी बीमा कम्पनी के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है तथा विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि न्यायाधिकरण में जमा कर दी है, जिसे प्रार्थी/याची को दिये जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने अपने शपथपत्र 4C2 में यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध कोई अपील लंबित नहीं है।

मैंने, प्रस्तुत पत्रावली व तलबशुदा पत्रावली एम.ए.सी.पी.सं. 287/2017 हरीश कुमार बनाम अरूणेश आदि का परिशीलन किया। बीमा कम्पनी विपक्षी सं. 2 भारती एक्सा जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा मुबलिग 35,758/–रुपये मय ब्याज पंजाब नेशनल बैंक में न्यायाधिकरण के खाते में जमा किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आधार कार्ड की छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं व असल पासबुक अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 24.09.2019 के अनुसार एवार्ड की धनराशि 35,758/–रुपये मय व्याज पंजाब नेशनल बैंक में विपक्षी सं.2 बीमा कम्पनी द्वारा जमा की जा चुकी है अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश के अनुसार प्रतिकर की धनराशि मुबलिग 35,758/–रुपये मय व्याज प्रार्थी/याची के बचत खाता सं.–3672000101195087 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित की जाये। उपरोक्तानुसार प्रार्थी/याची के उक्त खाता में धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या न्यायाधिकरण में अबिलम्ब दाखिल की जाये। 3B प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

इस प्रकीर्ण वाद की मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. 287/2017 हरीश कुमार बनाम अरूणेश आदि की पत्रावली में समाहित की जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.06.09 11:56:51 UTC
Reason: Document Owner
Location: MACT JHANSI